छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

वि. क्रमांक 1599/रा.से.प./परीक्षा/111/2008 रायपुर दिनांक 26.09.2008

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा–2008 हेतु विज्ञापन क्रमांक–10/2008/परीक्षा/दिनांक 20.09.2008 जारी किया गया है, जिसके कंडिका–9 में आयु सीमा की गणना **दिनांक 01.01.2009** की तिथि के संदर्भ किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2008 के लिए आवेदन पत्रों का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिन्हित डाकघरों के माध्यम से किया जा रहा है। आवेदन–पत्र क्रय करते समय डाकघरों द्वारा आवेदकों को निर्धारित शुल्क की रसीद दी जा रही है। इस रसीद में त्रुटिवश आयु की गणना एवं आयु में छूट की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2010 के संदर्भ में किए जाने का मुद्रण हो गया है। इस बारे में डाकघरों को पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि, उक्त त्रुटिपूर्ण तिथि को काट दिया जाए।

अतः समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि, रसीद में मुद्रित आयु की गणना एवं आयु में छूट की गणना **दिनांक 01.01.2010** के स्थान पर **दिनांक 1 जनवरी, 2009 (एक जनवरी, दो हजार, नौ)** पढ़ा, समझा एवं माना जावें।

सही

अवर सचिव,
छ0ग0लोक सेवा आयोग,
रायपुर